महानिदेशक, सूचना, लोक सम्पर्क,
भाषा तथा संस्कृति विभाग, हरियाणा

दैनिक ट्रिब्यून
चण्डीगढ़

दिनांक 19 दिसम्बर 2025

आरटीएस की अनदेखी पड़ी भारी, नूंह में लापरवाही पर कड़ा प्रहार

■ महिला एवं बाल विकास विभाग की देरी उजागर, आयोग ने ठोका जुर्माना

चंडीगढ़, 18 दिसंबर (ट्रिब्यून)

हरियाणा राइट टू सर्विस (आरटीएस) कमीशन ने नूंह जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय की गंभीर लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए यह साफ कर दिया है कि समयबद्ध सेवा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि नागरिकों का कानूनी अधिकार है। आयोग ने आरटीएस समय-सीमा के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए दोषी सहायक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, वहीं पीड़ित शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।

नूंह निवासी शिकायतकर्ता ने आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की एक योजना के तहत समय रहते आवेदन किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें योजना का लाभ निर्धारित अवधि में नहीं मिला। जांच में सामने आया कि लाभ छह महीने से भी अधिक की देरी से प्रदान किया गया, जो हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम की मूल भावना के विपरीत है। आयोग प्रवक्ता के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 25 जुलाई, 2024 को सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था। हालांकि, आवश्यक यूनिक कोड समय पर जनरेट न होने के कारण लाभ का भुगतान 16 अप्रैल 2025 को जाकर किया जा सका। हैरानी की बात यह रही कि डीपीओ, नूंह द्वारा बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने पर भी डब्ल्यूसीडीपीओ, नूंह-2 कार्यालय से समय पर यूनिक कोड जारी नहीं किया।